डॉ. (श्रीमती) कीर्ति देशमंकर

बनाम

भारत संघ और अन्य

सितंबर 6, 1990

[न्यायाधिपति एम. एच. कनिया और न्यायाधिपति ललित मोहन शर्मा]

व्यावसायिक महाविद्यालय- मेडिकल कॉलेज में प्रवेश-विदेशी-प्रवेश-विदेश मंत्रालय द्वारा अनापति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा अनापति प्रमाण पत्र का कोई विकल्प नहीं है।

प्राकृतिक न्याय-खेदजनक है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों पर उच्च शिक्षित व्यक्तियों द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया।

अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 5 अन्य लोगों के साथ जी.एम. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार थे। प्रतिवादी संख्या 5 को सफल आवेदकों की सूची में अंतिम उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। अपीलकर्ता को प्रतीक्षा सूची में शीर्ष पर रखा गया था।

अपीलकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 5 के प्रवेश को इस आधार पर चुनौती दी कि प्रतिवादी एक विदेशी नागरिक था और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार द्वारा पूर्व मंजूरी प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश के लिए विचार किए जाने का हकदार नहीं था, जिसे वह दाखिल नहीं कर सकी थी। अंतिम रूप से चयनित होने से पहले वह अपने आवेदन के साथ इसे प्रस्तुत नहीं कर सकी।

हालाँकि, प्रतिवादी ने विदेश मंत्रालय से एक अनापित पत्र प्रस्तुत किया था। बाद में, वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्राप्त करने में सक्षम रही। अपीलकर्ता द्वारा दायर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट आवेदन को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि (i) प्रतिवादी संख्या 5 का चयन प्रतिवादी की सास (एक पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष) की कॉलेज और अस्पताल परिषद के सदस्य के रूप में भागीदारी के कारण दूषित हो गया था। ; और (ii) भारत सरकार के निर्देशों के तहत यह आवश्यक था प्रतिवादी संख्या 5 को अपने अंतिम चयन से पहले कॉलेज और अस्पताल परिषद के समक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र इसका विकल्प नहीं हो सकता है।

इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर अपील को खारिज करते हुए माना गया:

- (1) प्रतिवादी संख्या 5 की सास निस्संदेह अपनी बहू के प्रवेश में अत्यधिक रुचि रखती थी और परिषद की बैठक में उसकी उपस्थिति ने प्रवेश के लिए प्रतिवादी संख्या 5 के चयन को सबसे अधिक प्रभावित किया।
- ए. के. क्राईपाक बनाम भारत संघ, [1970] 1 एससीआर 457; अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य, [1985] 4 एस. सी. सी. 417, संदर्भित।
- (2) यह खेदजनक है कि न्यायालयों द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद, कॉलेज और अस्पताल परिषद द्वारा गठित स्वयं डीन के नेतृत्व में उच्च शिक्षित व्यक्तियों की संख्या ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
- (3) राज्य को उच्च तकनीकी शिक्षा के संस्थानों को चलाने के लिए बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है और सीटें सीमित हैं। ऐसी स्थिति में किसी विदेशी नागरिक को इस देश के नागरिक की कीमत पर ही सीट आवंटित की जा सकती है। इसलिए, विदेश

मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 को प्रवेश देने का निर्णय लेने में कॉलेज और अस्पताल परिषद सही नहीं थी।

- (4) एक विभाग द्वारा अनापति प्रमाण पत्र दूसरे विभाग द्वारा मंजूरी का विकल्प नहीं हो सकता है।
- (5) निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विदेशी नागरिक को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुमित के बिना आम तौर पर देश के नागरिकों के लिए निर्धारित सीट पर कब्जा करने की अनुमित नहीं है और एक बार बाधा दूर हो जाने के बाद। उद्देश्य पूर्णतः संतुष्ट है। आवश्यक मंजूरी प्रस्तुत करने के बाद प्रतिवादी नंबर 5 के दावे को खारिज करने का कोई कारण नहीं रह जाता है, जो अधिक मेधावी उम्मीदवार था, जिसने एमबीबीएस परीक्षा में अपीलकर्ता की तुलना में अधिक प्रतिशत अंक हासिल किए थे।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4479/1990

1989 के मप्र क्रमांक 1378 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19.4.1989 से।

अपीलार्थी की ओर से एस. के. ढोलिकया और डी. भंडारी।

कपिल सिब्बल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जी. एल. सांघी, बी. आर.अग्रवाल, सुश्री सुषमा मनचंदा, एस. के. अग्निहोत्री, महेंद्र सिंह, सुश्री सुषमा सूरी, उज्जवल ए. राणा और अशोक सिंह प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

न्यायाधिपति शर्मा

1. विशेष अनुमति दी गई।

- 2. अपीलकर्ता और प्रतिवादी क्रमांक 5 अन्य के साथ जी.आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में प्रस्ति एवं स्त्री रोग विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार थे। उन्होंने एम.बी.बी.एस. परीक्षा विधिवत उत्तीर्ण की थी और प्रवेश के लिए अन्य आवश्यक शर्तें पूरी की थीं। उम्मीदवारों का चयन उनकी सापेक्ष योग्यता के आधार पर किया गया था और प्रतिवादी क्रमांक 5 को सफल आवेदकों की सूची में अंतिम उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। अपीलकर्ता को प्रतीक्षा सूची में शीर्ष पर रखा गया था और उसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश दिया गया था। उसने प्रतिवादी संख्या 5 के प्रवेश को इस आधार पर चुनौती दी कि वह एक विदेशी नागरिक था, और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्व मंजूरी प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश पर विचार करने का हकदार नहीं था, जिसे वह नहीं कर सकती थी। अपने आवेदन के साथ फ़ाइल करें और न ही अंतिम रूप से चयनित होने से पहले वह इसे प्रस्तुत कर सकीं। अपीलकर्ता द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट आवेदन पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने सुनवाई की और अपील के तहत निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया।
- 3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने विदेशी छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और प्राचार्यों को जारी किए गए निर्देश दिनांक 6 अगस्त, 1983 पर भरोसा किया है। देश में चिकित्सा संस्थान। बाद के आदेश द्वारा किसी विशेष वर्ष के लिए जारी किए गए निर्देश को जीवित रखा गया था। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने निर्देश की बाध्यकारी प्रकृति पर जोरदार विवाद किया है। लेकिन इसकी व्याख्या को लेकर गंभीर विवाद है।
- 4. प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त होने के बाद की बात कॉलेज और हॉस्पिटल काउंसिल नामक एक समिति द्वारा जांच की गई और इसने एक मेरिट सूची तैयार की

जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 को अपीलकर्ता से ऊपर स्थान दिया गया। 23.10.1989 तक आपितयाँ आमंत्रित की गईं और अपीलकर्ता ने समय के भीतर अपना आवेदन दायर किया और आरोप लगाया किप्रतिवादी संख्या 5 प्रवेश के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं थी क्योंकि उसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने विदेश मंत्रालय से एक पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि उक्त मंत्रालय को प्रतिवादी की स्वीकृति पर कोई आपित नहीं है। आपित पर कॉलेज और हॉस्पिटल काउंसिल ने विचार किया, जिसमें अन्य लोगों के अलावा डीन डॉ. ए.के. गोविला और प्रतिवादी नंबर 5 की सास डॉ. (श्रीमती) पी.ओलियाई, जो प्रसूति विभाग की पूर्व प्रोफेसर और प्रमुख हैं और कॉलेज की स्त्री रोग विशेषज्ञ सदस्य थीं। अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपित को निम्नलिखित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया:

"(बी) डॉ. रोजा ओलिया ने एक भारतीय डॉक्टर से शादी की और विदेश मंत्रालय (पत्र संख्या 1703/निदेशक (जीएमएस)/89 दिनांक 31.3.1989) की ओर से प्राप्त दस्तावेजों में कहा गया है कि विद्वानों को खारिज कर दिया गया है और उनकी योग्यता यथास्थिति बनी हुई है।"

तदनुसार अंतिम सूची 8.11.1989 को प्रकाशित की गई। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 5 बाद में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम थी और उसे कॉलेज में दायर किया गया था। प्रतिवादी संख्या 5 को औपचारिक रूप से दिसंबर, 1989 के पहले सप्ताह में स्वीकार किया गया था।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपील के समर्थन में निम्नलिखित दो बिंदु रखे हैं:

- (ए) कॉलेज और अस्पताल परिषद द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 का चयन सदस्य के रूप में प्रतिवादी की सास की भागीदारी के कारण दूषित हो गया था; और
- (बी) भारत सरकार के निर्देश के तहत यह आवश्यक था प्रतिवादी संख्या 5 को अपने अंतिम चयन से पहले कॉलेज और अस्पताल परिषद के समक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्णायक तारीख वह थी जब प्रतिवादी संख्या 5 को अंततः चुना गया था और बाद में दिसंबर, 1989 में उसका औपचारिक प्रवेश सार्थक नहीं था। साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का विकल्प नहीं हो सकता।
- 6. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का पहला तर्क स्स्थापित है, डॉ. (श्रीमती) पी. ओलियाई, बिना किसी संदेह के, अपनी बहू के प्रवेश में अत्यंत रुचि रखती थीं और परिषद की बैठक में उनकी उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। यह माना गया कि प्रवेश के लिए प्रतिवादी संख्या 5 का चयन दूषित हो गया है। जैसा कि ए.के क्रेपक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [1970] 1 एससीआर 457 में देखा गया था, उसके हित और कर्तव्य के बीच संघर्ष था और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम में मानवीय संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह दलील देने के लिए उचित आधार था कि वह संभावित थी पक्षपातपूर्ण होना. क्रेपक के मामले में संबंधित व्यक्ति कार्यवाहक म्ख्य वन संरक्षक था, जिसने चयन बोर्ड के क्छ विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया, लेकिन तथ्य यह है कि वह बोर्ड का सदस्य था और उसने उन विचार-विमर्श में भाग लिया जहां उसके दावे प्रतिद्वंद्वियों पर विचार किया गया और सूची की तैयारी में यह माना गया कि चयन पर प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ा है, क्योंकि बोर्ड ने उनकी राय को महत्व दिया होगा। उस मामले में बोर्ड के अन्य सदस्यों ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि कार्यवाहक मुख्य संरक्षक ने किसी भी तरह से उनके निर्णय को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन इसे चयन को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया।

इस सिद्धांत का पालन कई मामलों में किया गया है, जिसमें अशोक कुमार यादव और अन्य बनाम हिरयाणा राज्य और अन्य [1985] 4 एससीसी417 शामिल हैं, जहां इस बात पर जोर दिया गया था कि पूर्वाग्रह स्थापित करना आवश्यक नहीं है और यदि ऐसा किया जा सकता है तो यह चयन प्रक्रिया को अमान्य करने के लिए पर्याप्त है।दिखाया जाए कि पक्षपात की उचित संभावना थी। यह अफसोस की बात है कि अदालतों द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद कई उच्च शिक्षित व्यक्तियों द्वारा गठित कॉलेज और अस्पताल परिषद, जिसकी अध्यक्षता स्वयं डीन करते थे, ने कोई ध्यान नहीं दिया। डॉ. (श्रीमती) ओलियाई से अपेक्षा की गई थी कि वह अपनी बहू के मामले का समर्थन करने के बजाय परिषद से अलग हो जाएंगी और किसी भी स्थित में यह देखना डीन का परम कर्तव्य था कि डॉ. ओलियाई ने पहले ऐसा किया था। चयन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हम तदनुसार मानते हैं कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रतिवादी संख्या 5 का चयन कानून की हष्टि से दोषपूर्ण था।

- 7. आमतौर पर हमारे उपरोक्त निष्कर्ष के परिणामस्वरूप मामले को उचित रूप से गठित चयन समिति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया होगा, लेकिन वर्तमान में अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकार के लिए प्रतिद्वंद्वी डॉक्टरों के बीच विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्र जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस मुद्दे के शीघ्र निपटान की आवश्यकता है, हमने पार्टियों के विद्वान वकील से अपने संबंधित मामलों की योग्यता रखने के लिए कहा। तदनुसार, तर्कों को संबोधित किया गया, और हमने कुछ हद तक उस पर विचार किया है, और हम अंततः यहां विवाद का फैसला करने के लिए आगे बढ़ते हैं।
- 8. हालाँकि सुनवाई के दौरान पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने विवादित मुद्दे के कई अन्य पहलुओं से संबंधित दलीलें दीं, लेकिन अंततः वे सहमत हुए, और हमारे विचार से यह सही है कि वर्तमान मुकदमे का अंतिम परिणाम इसकी व्याख्या पर

निर्भर है। जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में निहित है, ऊपर उल्लिखित है। एक स्तर पर प्रतिवादी की ओर से यह सुझाव दिया गया कि चूंकि उसने अब भारतीय राष्ट्रीयता हासिल कर ली है, इसलिए उसे कॉलेज से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इस तर्क में कोई दम नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि प्रतिवादी इस देश की नागरिक नहीं थी जब उसे दिसंबर 1989 के पहले सप्ताह में वास्तव में कॉलेज में भर्ती कराया गया था। श्री जी.एल. सांघी ने भी दिनांक 31.8.1989 को जारी पत्र पर भरोसा किया। प्रतिवादी के पक्ष में विदेश मंत्रालय, जिस पर अपीलकर्ता की आपित को खारिज करने के लिए कॉलेज और अस्पताल परिषद ने भरोसा किया था। इससे फिर कोई मदद नहीं मिल सकती. विदेश मंत्रालय की भूमिका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्पष्ट रूप से भिन्न है, और एक विभाग द्वारा अनापत्ति का प्रमाण पत्र दूसरे विभाग द्वारा मंजूरी का विकल्प नहीं हो सकता है। विदेश मंत्रालय दवारा जांच संबंधित व्यक्ति की जांच करने के उददेश्य से की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह इस संबंध में विभिन्न प्रासंगिक कारकों की पृष्ठभूमि में देश के आतिथ्य का आनंद लेने के लिए वांछनीय व्यक्ति है। जहां तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का सवाल है, उसे इस सवाल पर विचार करना होगा कि क्या मेडिकल पाठयक्रम के लिए डिग्री मानक या स्नातकोत्तर स्तर तक की सीट किसी विदेशी नागरिक के लिए छोड़ी जा सकती है। उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों को चलाने में राज्य को बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है और सीटें सीमित होती हैं। ऐसी स्थिति में किसी विदेशी नागरिक को इस देश के नागरिक की कीमत पर ही सीट आवंटित की जा सकती है। इसलिए, विदेश मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 को प्रवेश देने का निर्णय लेने में कॉलेज और अस्पताल परिषद सही नहीं थी।

9. अब प्रश्न यह है कि उपरोक्त निर्देश का अर्थ क्या है जिसमें खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित दो प्रावधान शामिल हैं। वर्तमान मामले में निर्विवाद रूप से खंड (ए)

लागू नहीं होता है क्योंकि प्रश्न में सीट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है और परिणामस्वरूप किसी विदेशी छात्र को उक्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किए जाने का कोई सवाल ही नहीं है। खंड (बी) में निहित निर्देश का दूसरा भाग इस प्रकार है:

"(बी) किसी भी विदेशी छात्र को, जो ऐसे पाठ्यक्रम के लिए सीधे प्रवेश की मांग कर रहा है, तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसकी मंजूरी नहीं दे देता।"

अपीलकर्ता के अनुसार जिस चरण में ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा वह तब होता है जब प्रवेश के लिए अंतिम चयन किया जाता है। श्री सांघी का तर्क है कि निर्देश को उसमें प्रयुक्त अभिव्यक्ति "प्रवेशित" के प्रकाश में समझा जाना चाहिए, जो इंगित करता है यदि वास्तविक प्रवेश से पहले आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्त्त किया जाता है, तो उसे अवैध नहीं माना जा सकता है। विद्वान वकील ने बताया कि निर्देश का उद्देश्य यह स्निश्चित करना है कि किसी भी विदेशी नागरिक को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुमित के बिना आम तौर पर देश के नागरिक के लिए सीट पर कब्जा करने की अन्मित नहीं दी जाती है। वह बाधा दूर हो गई, उद्देश्य पूर्णतः संत्ष्ट हो गया। आवश्यक मंजूरी प्रस्तुत करने के बाद अधिक मेधावी अभ्यर्थी की दावेदारी खारिज करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि प्रतिवादी संख्या 5 ने एमबीबीएस परीक्षा में अपीलकर्ता की त्लना में अधिक अंक प्राप्त किए थे, उन्हें योग्यता के आधार पर बेहतर उम्मीदवार घोषित किया गया था। हम सहमत हैं तदनुसार, हम पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 के प्रवेश को किसी भी अवैधता के आधार पर नजरअंदाज या रदद नहीं किया जा सकता है। इसलिए, अपील खारिज की जाती है, लेकिन परिस्थिति में, बिना किसी लागत के।

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।